नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5/3/09	वकील प्रार्थीगण उप० । रेस्पोन्डेन्ट के विरुद्ध वकील पुकारे गये उप० ही। पत्रावली वास्ते बहस दि० 29/5/09 को पेश हो।	
	29-5-09	वकील प्रार्थीगण उप०। पत्रावली वास्ते बहस दि० 5-6-09 को पेश हो।	
	5-6-09	वकील प्रार्थीगण उप०। पत्रावली वास्ते बहस दि० 17-7-09 को पेश हो।	
	17-7-09	वकील प्रार्थीगण उप०। पत्रावली वास्ते बहस दि० 21/8/09 को पेश हो।	
	21/8/09	वकील प्रार्थीगण उप०। पत्रावली वास्ते बहस दि० 16-9-09 को पेश हो।	
	16-9-09	वकील प्रार्थीगण उप० S.D.O. साहब अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते बहस दि० 9-11-09 को पेश हो।	
	9.11.09	[illegible]	

उपजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय मोहन लाल गुप्ता आर०ए०एस० उप जिला कलक्टर गंगापुरसिटी

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख फैसला
57/08	17.06.08	9.11.09

केशन्ती देवी पत्नि छुट्टन लाल जाति मीना निवासी आदर्श नगर गंगापुरसिटी
—सायला—

बनाम

1. लक्खी | पुत्रगण बबलू
2. गजानन्द
3. अशोक | पुत्रगण मोहन
4. शिवदयाल |
5. रघुवीर उर्फ बल्लू | पुत्रगण श्यामसुन्दर
6. छोटे
7. बबलू पुत्र हरी
8. श्यामसुन्दर पुत्र जगनलाल

जाति स्वर्णकार निवासी ग्राम छावा तहसील गंगापुरसिटी।

—गैरसायलान—

प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः—श्री जुगलकिशोर गर्ग,एडवोकेट, सायला की ओर से
श्री बिरधी चन्द शर्मा ,एडवोकेट, गैरसायलान की ओर से

निर्णय

सायला ने इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 148 रकवा 0.85 है0 स्थित ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुरसिटी सायला की खातेदारी की भूमि है। जिसे सायला ही काश्त कर लगान सरकारी अदा करती चली आ रही है। प्रार्थीया सायला ने अपनी उक्त आराजी में एक झोपडी बना रखी है। जिसमें कृषि सामान रखती है। तथा चारा फूस रखती है। सोती उठती बैठती है। गैरसायलान झगडालू व गिरोहबन्द व्यक्ति है जिनका सायला की उक्त भूमि मे किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नही है। गैरसायलान दिनांक 18.5.08 को सायला के खेत पर जरबन आ गये और सायला की उक्त आराजी की मेड को जबरन जे0सी0बी0 मशीन से कुछ हिस्से को तोड दी। मना करने पर झगडा करने को उतारू हो गये। अतः गैरसायलान को ताफेसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि सायला की खातेदारी की भूमि ख0न0 148 रकवा 0.85 है0 मे कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान की तलबी की गयी। गैरसायलान ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाव पेश किया है कि श्यामसुन्दर गैरसायल नम्बर 8 की खातेदारी भूमि ख0न0 377/930,384 मे से 16 गुणा 100 मीटर भूमि पर केशन्ती ने अतिक्रमण करके श्यामसुन्दर की मेड को तोडकर अतिक्रमण किया तथा धमकी दी कि केशन्ती, श्यामसुन्दर एवं उसके परिवार को एस0सी0एस0टी0 के अत्याचार के झूँठे मुकद्में में फॅसा देगी एवं जेल भेज देगी इस कारण से श्यामसुन्दर ने केशन्ती ,छुट्टन लाल, पप्पू, लैण्ड होल्डर के विरूद्ध दावा बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर दिया है । जो माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है । गैरसायलान ने सायला की भूमि में किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण नही किया है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी 2061–2064 नक्शा ट्रेस पेश किये है।

गैरसायलान ने अपने जबाव के समर्थन मे कोई दस्तावेज पेश नही किया है।

विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

विद्वान अभिभाषक गैरसायलान ने अपने जबाव के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुरोध किया है।

पत्रावली का अध्ययन किया। रिकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। नकल जमाबन्दी स0 2061–2064 मे विवादित आराजी ख0न0 148 रकवा 0.85 है0 सायला की खातेदारी मे दर्ज है। गैरसायलान का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नही है। सायला ने अपने शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 4 में गैरसायलान द्वारा कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न किया जाना अंकित किया है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति सायला के पक्ष मे पाया जाता है। सायला, गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर सायला प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख0न0 148 रकवा 0.85 है0 स्थित ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुरसिटी में सायला के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील मूल दावे के संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 09.11.09 को सुनाया गया।

(मोहन लाल गुप्ता)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुरसिटी